संख्याः 22958/सात लाई०–एस०–48/व्यव०/2026–27/2027–28/सा०निर्देश/व्यवस्थापन
प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून, दिनांकः 03 फरवरी, 2026

विषयः– **वर्ष 2026–27 व 2027–28 की अवधि हेतु सी०एल०–5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ०एल०–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन एवं अन्य अनुज्ञापनों के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 के नियम–1(3) के अनुसार व उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग के आदेश संख्याः 45/XXIII-1/2024/ई–80688/2025 देहरादून दिनांकः 03 फरवरी, 2026 के कम में राज्य में मदिरा की फुटकर दुकानों, सी०एल०–5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ०एल०–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2026–27 (दिनांक 01.04.2026–31.03.2027 तक) व 2027–28 (दिनांक 01.04.2027–31.03.2028 तक) हेतु निम्नानुसार किया जायेगा:–

1. वर्ष 2025–26 मे संचालित एवं व्यवस्थापित मदिरा दुकाने जो कि उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह है, उनका नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु नीति के उपबन्धों के अधीन किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु नवीनीकरण शुल्क व अन्य शर्तें पूर्ण करने की दशा में आबकारी नीति विषयक नियमावली के नियम 1.1 (3) के अनुरूप लाईसेंसिंग प्राधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा द्विवर्षीय नवीनीकरण किया जायेगा। अनुज्ञापन शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क आबकारी नीति विषयक नियमावली के नियम 1.2 तथा 2.5 (f) के अनुसार आगामी दोनों वर्षों का लिया जाएगा। वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु अनुज्ञापन शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क जमा करने व अन्य अर्हताऐं पूर्ण करने की दशा में दो वर्षो तक निरन्तर मदिरा दुकानों का संचालन कर सकेगा और इसका उल्लेख आवंटन/नवीनीकरण पत्र में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।
2. नवीनीकरण के अतिरिक्त लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक एवं अधिकतम राजस्व ऑफर के माध्यम से चयनित अनुज्ञापियों का सम्बन्धित मदिरा दुकानों का वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु आवेदन शुल्क व 2027–28 हेतु नवीनीकरण शुल्क व अन्य शर्ते पूर्ण करने की दशा में आबकारी नीति विषयक नियमावली के नियम 1.1 (3) के

अनुरूप द्विवर्षीय वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा।

3. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या: 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांक: 05, मार्च, 2025 के द्वारा प्रख्यापित की गयी है, में दी गयी व्यवस्था के आधार पर मदिरा की फुटकर दुकानों का राजस्व निर्धारित किया जाना है। द्विवर्षीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु मदिरा दुकान का राजस्व जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा आगणित किया जाएगा तथा जिला अधिकारी द्वारा युक्तिसंगत एवं तर्कसंगत होने पर अंतिम रूप से निर्धारित किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित निर्धारित राजस्व के आधार पर लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम गारण्टीड अभिकर की राशि का निर्धारण विहित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाये। **राजस्व निर्धारण में पर्याप्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है।**

4. मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन (नवीनीकरण एवं लॉटरी सहित नीति में दिये गये प्राविधान के अनुसार) के लिये नीति के नियम–1 के अनुसार राजस्व निर्धारण किया जायेगा। जनपद के लिये वर्ष 2026–27 व 2027–28 के लिये राजस्व चार्ट तैयार किया जायेगा। जनपद आबकारी नीति के नियम 1 में दिए गए वार्षिक राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकतम वृद्धि कर राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जनपद का लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की दशा में जनपद के लिए मदिरा की दुकानों हेतु निर्धारित राजस्व में ही जनपद में नई दुकानों का सृजन भी किया जा सकेगा। वर्ष 2026–27 व 2027–28 अनिवार्य के लिए मदिरा दुकानों का राजस्व चार्ट अलग–अलग आगणित करते हुए आयुक्तालय को अवगत कराते हुए कार्यवाही की जाएगी।

5. नवीनीकरण हेतु आयुक्तालय से निर्गत आवेदन पत्र कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा नवीनीकरण की शर्तों को पूर्ण करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों को जारी किया जायेगा जिसमें नवीनीकरण संख्या, मदिरा दुकान का कोड व कार्यालय की मुहर अंकित होगी।

6. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का नवीनीकरण निर्धारित समय एवं शर्तो के अधीन किया जायेगा। अर्ह दुकानों के नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की उपयुक्तता की जाँच कर राजस्व हित में जिला आबकारी अधिकारी जनपद की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव आबकारी आयुक्त को निर्धारित समय में प्रेषित करेंगे। नवीनीकरण के अनुमोदन हेतु जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किए जा सकेंगे। आबकारी आयुक्त के अनुमोदन के उपरांत अंतिम रूप से नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत दुकानों की सूची जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी तथा इसके साथ ही नवीनीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

7. नवीनीकरण के पश्चात अव्यवस्थापित तथा नवसृजित जनपद की सी0एल0–5सी (देशी शराब व बीयर) एवं एफ0एल0–5डी (विदेशी मदिरा व बीयर) की दुकानवार निर्धारित लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम गारन्टीड अभिकर (जो भी लागू हो) की सूची शासन की वेबसाईट–**www.uk.gov.in** एवं **www.uttrakhandexcise.org.in** जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय तथा कलैक्ट्रेट, तहसील एवं उप–तहसील, विकासखण्ड तथा नगर पालिका कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लगायी जायेगी। उक्त मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार करना भी सुनिश्चित करेंगे।
8. वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु जमा अग्रिम प्रथम तथा द्वितीय प्रतिभूति को वित्तीय वर्ष 2027–28 के अंतिम माहों में समायोजित किया जाएगा। इस समायोजन के फलस्वरूप वर्ष 2027–28 हेतु प्रथम प्रतिभूति के अंतर की राशि को 30 मार्च 2027 तथा द्वितीय प्रतिभूति के अंतर की राशि को 30 अप्रैल 2027 तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
9. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नवीनीकृत एवं अन्य माध्यम से व्यवस्थापित समस्त मदिरा दुकानों की वर्ष 2026–27, 2027–28 की लाईसेन्स फीस एवं नवीनीकरण शुल्क आबकारी आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात तत्काल एवं वित्तीय वर्ष 2026–27 की प्रथम प्रतिभूति को प्रदेश आबकारी राजस्व हित में नकद ट्रेजरी चालान के माध्यम 30 मार्च 2026 तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
10. नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजिका में अंकित किया जाएगा तथा पंजिका का पंजीयन क्रमांक ही आवेदन पत्र में अंकित नवीनीकरण क्रमांक होगा।
11. नवीनीकरण के पश्चात अवशेष रह गई मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु जनपद के राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष अवशेष राजस्व को सबंधित मदिरा दुकानों में तर्कसंगत एवं वास्तविक उठान क्षमता के आधार पर पुनर्निर्धारित करते हुए मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन निर्धारित कार्यक्रमानुसार दो चरण की लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। अवशेष मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु लॉटरी आदि की प्रक्रिया हेतु जिला स्तरीय आवंटन समिति के सदस्य एवं लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी व्यवस्थापन के समय स्वयं अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात प्रथम आवक प्रथम पावक तथा अधिकतम ऑफर की प्रक्रिया मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु अपनाई जाएगी जिसके लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
12. नवीनीकरण के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकान के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजिका में पंजीकृत किया जायेगा। पंजिका के पंजीयन संख्या को आवेदन पत्र की रसीद में अंकित करके आवेदक को यह रसीद उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इन मूल रसीदों को पहचान पत्र मानकर आवेदक को लॉटरी के लिये निर्धारित हाल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्राप्त आवेदनों की कम्प्यूटर में भी प्रविष्टि की जायेगी। लॉटरी/चयन प्रक्रिया के समय आवेदक स्वयं उपस्थित रहेगा केवल अपरिहार्य स्थिति में आवेदक की अनुपस्थिति में उसका अधिकृत प्रतिनिधि

नोटराइज्ड प्राधिकार पत्र के साथ ही मान्य हो सकेगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदक को उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर चयन की प्रक्रिया से बाहर किया जा सकेगा।

13. जिला आबकारी अधिकारी लॉटरी एवं अग्रिम प्रक्रिया हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से वांछनीय कोई अभिलेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो जिलाधिकारी द्वारा विवेक सम्मत निर्णय लेते हुए ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में राजस्व हित में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

14. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आवंटन समिति का गठन उत्तराखण्ड आबकारी विदेशी मदिरा एवं बियॅर की फुटकर दुकान व्यवस्थापन नियमावली 2001 के नियम–9 तथा देशी शराब की नियमावली के नियम–10 की निम्न व्यवस्था के अनुसार किया जायेगाः–

District level committee for licensing

There shall be a district level committee for selection of licensees for retail sale of Foreign Liquor & Beer/Country Liquor. The committee shall consist of the following member, namely:-

1. The Collector of the District	**Chairman**
2. One Gazetted Officer nominated by the Excise Commissioner	**Member**
3. The District Excise Officer of the District	**Member/Secretary**

इस कमेटी में जिला आबकारी अधिकारी एवं एक अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, जो जनपद में नियुक्त किसी डिप्टी क्लेक्टर से अनिम्न अधिकारी के नाम का प्रस्ताव जिलाधिकारी अपनी संस्तुति सहित आबकारी आयुक्त को ई–मेल आई0डी0 **utk.hqexcise.lic@gmail.com** पर प्रेषित करेंगे, ताकि नियमानुसार आबकारी आयुक्त द्वारा द्वितीय सदस्य को नामित किया जा सके। उपरोक्तानुसार गठित समिति प्राप्त आवेदन पत्रों का समुचित परीक्षण एवं दुकानों के नियमानुसार व्यवस्थापन के लिये उत्तरदायी होगी।

15. समिति के गठन की सूचना को व्यवस्थापन स्थल के अतिरिक्त जनपद के सभी जिला व तहसील कार्यालयों पर लगे सूचना पट्टों पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

16. व्यवस्थापन के समय प्रेस/मीडिया के प्रतिनिधियों को भी आंमत्रित किया जायेगा तथा व्यवस्थापन स्थल पर उनके बैठनें हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।

17. यदि किसी दुकान के लिये निर्धारित राजस्व पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो दुकान के आवंटन के लिये सार्वजनिक लॉटरी से अनुज्ञापी का चयन किया जायेगा।

18. लॉटरी के लिये जिला मुख्यालय पर किसी बड़े हॉल की व्यवस्था की जाय। लॉटरी हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दुकानवार सूचियां,सम्बन्धित दुकान को आवंटित

कमांक, प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या व आवेदकों के नाम आदि की जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाय तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माईक पर उद्घोषित भी किया जाय। लॉटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार में कुछ ऊंचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाय कि सभी उपस्थित व्यक्ति लॉटरी की कार्यवाही को भलीभांति देख सकें, जिससे लॉटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। सम्पूर्ण लॉटरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करायी जाये एवं लॉटरी स्थल पर प्रोजेक्टर की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें लॉटरी की प्रकिया को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्कीन पर प्रदर्शित किया जायेगा।

19. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम के अनुसार एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में अधिकतम तीन मदिरा की दुकानें ही आवंटित की जा सकती है। किसी आवेदक/सह आवेदक को वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु नवीनीकृत/आवंटित दुकानों को जोड़ते हुए अधिकतम मात्र तीन मदिरा की दुकानें ही आवंटित हो सकती है। तीन मदिरा दुकान आवंटन के उपरान्त अगले चरण में आवेदक/सह आवेदक का नाम सम्मिलित नहीं होगा।

20. वित्तीय वर्ष 2025–26 की मदिरा दुकानें जिनमें एक से अधिक अनुज्ञापी/सह अनुज्ञापी है, उन मदिरा दुकानों के अनुज्ञापी/सह अनुज्ञापी आपसी सहमति के आधार पर वित्तीय वर्ष के मध्य में कभी भी यदि मूल अनुज्ञापी अनुज्ञापन से अपना नाम निरस्त करवाता है तथा सह अनुज्ञापी उस अनुज्ञापन नवीनीकरण करवाना चाहता है, तो इसके लिए वर्ष 2026–27 व 2027–28 हेतु निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 25% धनराशि प्रक्रिया शुल्क के रूप में अतिरिक्त देय होगा। उक्त परिवर्तन की दशा में सह अनुज्ञापी ही मूल अनुज्ञापी माना जायेगा एवं राजस्व की समस्त देयतायें, परिवर्तित नवीन अनुज्ञापी (जो पूर्व में सह अनुज्ञापी रहा हो) को ही जमा करानी होगी, दोनो के मध्य सहमति पत्र 100 रूपये के नॉनज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड कराना अनिवार्य होगा, को जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

21. लॉटरी द्वारा किसी मदिरा दुकान का आवंटन होते ही पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रविष्टि विभागीय वैबसाईट **www.uttrakhandexcise.org.in** पर की जाये, जिससे किसी भी आवेदक/सह आवेदक को अधिकतम तीन मदिरा की दुकानें ही आवंटित हो सकें।

22. जिन देशी/विदेशी मदिरा/बियर की दुकानों पर केवल एक ही आवेदन प्राप्त हुआ है, उनका आवंटन लॉटरी प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व कर दिया जायेगा। दुकान की लॉटरी पहले विदेशी मदिरा से आरम्भ होगी। सबसे पहले अधिकतम वार्षिक राजस्व वाली दुकान के लिये लॉटरी निकाली जायेगी और उसके बाद राजस्व के अवरोही क्रम (Descending Order) में यह प्रक्रिया जारी रखी जायेगी। विदेशी मदिरा की दुकानों के लिये लॉटरी सम्पन्न होने के बाद देशी मदिरा की दुकानों के लिये लॉटरी आरम्भ की जायेगी और इसमें भी अधिकतम राजस्व वाली दुकानों से आरम्भ कर अवरोही क्रम (Descending Order) में दुकानों की लॉटरी निकाली जायेगी।

23. लॉटरी प्रक्रिया से आवंटन के पश्चात सफल/चयनित आवेदक आबकारी नीति में दी गई व्यवस्था अनुसार यदि मौके पर लाइसेंस फीस जमा नहीं करता है तो उसका चयन निरस्त कर तत्काल मौके पर पुनः शेष आवेदकों के मध्य लॉटरी प्रक्रिया द्वारा आवंटी का चयन किया जायेगा। आवेदक जिसका चयन निरस्त किया जाएगा उसकी धरोहर राशि को जब्त कर दिया जाएगा।

24. लॉटरी निकाले जाने के लिये जिला आबकारी अधिकारी द्वारा **6 से0मी0×6 से0मी0** की एक ही तरह की कागज की पर्चियां कंप्यूटर से छपवाकर तैयार की जायेगी, जिनका प्रारूप निम्नानुसार होगाः–

मदिरा दुकान का नाम ....
मदिरा दुकान का प्रकार..
आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या..................................
आवेदक का नाम..
जि0आ0अधि0   नामित अधि0   जिलाधिकारी

25. पर्ची पर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर स्कैन करके प्रिन्ट किये जा सकते हैं, किन्तु अन्य अधिकारी अनिवार्य रूप से प्रत्येक पर्ची पर हस्ताक्षर करेंगे।

26. जिलाधिकारी किसी एक दुकान के लिये सभी आवेदकों की पर्चियों के लिखे भाग को अन्दर की ओर रखते हुए समान रूप से अलग–अलग मोड़ कर किसी पारदर्शी पात्र में भली–भांति मिलाकर एक पर्ची, पंडाल/लॉटरी हॉल में उपस्थित व्यक्तियों में से रैन्डम आधार पर, किसी एक व्यक्ति से निकलवायेंगे। यह पर्ची सार्वजनिक रूप से खोलकर सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखायी जाएगी और पर्ची पर आवेदक के नाम की उद्घोषणा भी पर्ची निकालने वाले व्यक्ति से ही माइक पर करायी जायेगी। लॉटरी निकल जाने के बाद पर्ची के पीछे दुकानों के व्यवस्थापन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे व जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की गोल मोहर लगायी जायेगी। लॉटरी के पूरा हो जाने के उपरान्त सभी पर्चियां, जिन पर दुकानें व्यवस्थापित की गयी होंगी, एक लिफाफे में बन्द करके सील कर दी जायेगी, जिसके ऊपर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

27. दुकान आवंटित हो जाने की दशा में चयनित आवेदक को देय राजस्व उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार समयान्तर्गत जमा करना होगा। प्राप्त राजस्व (बैंक ड्राफ्ट के रूप में) को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

28. यदि चयनित आवदेक नियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार निर्धारित धनराशि समयान्तर्गत जमा नहीं करता/निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं करता अथवा दुकान के लिये उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त समझा जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा लाईसेंसिंग प्राधिकारी, आवंटित अनुज्ञापी के जोखिम पर चयन

निरस्त कर दुकान के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही नियमों में दी गयी व्यवस्थानुसार करेंगे।

29. नवीनीकरण, लॉटरी एवं अन्य निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन हेतु आवेदक एवं सह आवेदकों द्वारा अलग–अलग शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

30. दुकान व्यवस्थापन की समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करा ली जाय ताकि दुकानों का संचालन दिनांकः 01.04.2026 से प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जा सके। दुकानवार व्यवस्थापन के दौरान पारदर्शिता की दृष्टि से दुकान विशेष के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण, अनुज्ञापन स्वीकृति तथा लॉटरी की दशा में आवेदकों के नाम/संख्या जिनके मध्य लॉटरी की जा रही है, सूचनाएँ मौके पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र के माध्यम से उद्घोषित की जायें और प्रत्येक अगली दुकान के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूर्ण करने से पूर्व पिछली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त जिज्ञासाओं का अवश्य समाधान कर दिया जाये।

31. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित कोई भी तथ्य अथवा सूचना असत्य पाये जाने पर उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है व धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त की जा सकती है।

32. अपने जनपद के पूर्व वर्षों के बकायादारों की सूची बना ली जाये। अन्य जनपदों से प्राप्त आबकारी राजस्व के बकायेदारों की सूची अलग से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी बकायेदार को अनुज्ञापन न दिया जाय।

33. दुकानों के व्यवस्थापन के उपरान्त व्यवस्थापित तथा अव्यवस्थापित दुकानों का विवरण प्रत्येक चरण की समाप्ति के पश्चात निर्धारित प्रारूप में आबकारी मुख्यालय भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में विवर्जित **(Black List)** किये गये व्यक्तियों का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

34. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025 (त्रिवर्षीय) में दी गयी व्यवस्थानुसार मदिरा दुकानों के सफल आवंटी को लाइसेंस फीस मौके पर तत्काल पृथक रूप से जमा करनी होगी और इस लाइसेंस फीस को धरोहर राशि के बैंक डिमांड ड्राफ्ट से समायोजित नहीं किया जाएगा तथा शेष औपचारिकतायें आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025 (त्रिवर्षीय) एवं अन्य सुसंगत प्रविधानों के तहत दुकान आवंटन होने के निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक रूप से प्रस्तुत/पूर्ण करनी होगी। ऐसा न करने की दशा में सम्बन्धित आवंटी के जोखिम पर दुकान निरस्त कर दी जायेगी।

35. आवेदन पत्र के साथ संलग्न धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट को जनपद में लॉटरी समाप्त होने के उपरान्त असफल आवेदकों को वापस किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगीः–

आवेदनकर्ता स्वंय कार्यालय में उपस्थित होकर मूल प्राप्ति रसीद प्रस्तुत कर बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकतें है।

अथवा

आवेदक के किन्हीं कारणों से उपस्थित न होने की दशा में उनके द्वारा विधिवत् निर्गत प्राधिकार पत्र के साथ मूल रसीद प्रस्तुत करने पर नामित व्यक्ति धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर सकेंगे। प्राधिकार पत्र पर आवेदक एवं उसके प्रतिनिधि का पासपोर्ट साईज में रंगीन फोटो चस्पा करके उसके द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा।

36. लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात निर्धारित वार्षिक राजस्व पर प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर दुकान का आवंटन किया जाएगा। यदि इस प्रक्रिया में कोई दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है, तो जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों को व्यवस्थापित करने हेतु निर्धारित राजस्व के सापेक्ष सार्वजनिक विज्ञप्ति के माध्यम से ऑफर आमंत्रित किए जाएंगे तथा अधिकतम ऑफरदाता के पक्ष में जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी की आख्या पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा, दुकान के राजस्व की गणना वास्तविक दिवसों के हिसाब से आवंटन की तिथि से की जाएगी।

37. वर्तमान वर्ष में संचालित एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 में संचालित होने वाले फुटकर मदिरा अनुज्ञापन व थोक मदिरा अनुज्ञापन सी0एल0–2/एफ0एल0–2 यदि किसी फर्म, कम्पनी आदि के तहत वित्तीय लेन देन कर रही है या करेगी तथा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य कभी भी अनुज्ञापी किसी कम्पनी, फर्म के तहत लेन देन से जुड़ता है या इससे बाहर जाता है तो इसकी समस्त सूचना आवेदन फार्म पर तथा यथा समय विभाग को स्पष्ट रूप से देनी होगी। वित्तीय नियमों के सहित आयकर इत्यादि के नियमों का अनुपालन अनुज्ञापी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश है कि जिला आबकारी अधिकारी उक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराये। उक्त के सम्बन्ध में अनियमितता का कोई प्रकरण प्रकाश में आने की दशा में सम्बन्धित अनुज्ञापी फर्म, कम्पनी आदि पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही लाईसेसिंग प्राधिकारी एवं आबकारी आयुक्त द्वारा अमल में लाई जायेगी।

38. दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, गांधी रोड़, तहसील चौक, देहरादून से यथावश्यक निर्देश/सूचनायें/जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन आबकारी आयुक्त द्वारा किये जाने की सूचना विभागीय वेबसाईट **www.uttrakhandexcise.org.in** पर उपलब्ध रहेगी।

39. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–2.5 के अनुसार अंतिम व्यपगत मास की देयतायें पूर्ण होने या विगत वर्षो का कोई बकाया नही होने की दशा में नवीनीकरण आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी, के कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा।

40. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–2.5(d) व नियम–2.5(i) को संयुक्त रूप से पढा जाए तथा सह अनुज्ञापी को मूल अनुज्ञापी के रूप में प्रतिस्थापित होने की अनुमति कार्यालय आबकारी आयुक्त स्तर से की जायेगी, जिसे बाद अनुमति लाईसेन्स प्राधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञापी के रूप में नाम जोड़ा जायेगा।

41. आबकारी राजस्व हित में मूल अनुज्ञापी के अनुरोध एवं सहमति के आधार पर संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति पर वित्तीय वर्ष के मध्य में किसी भी मदिरा दुकान में नीति के सुसंगत प्रावधानों के तहत सह अनुज्ञापी के रूप में किसी भी अर्ह आवेदक को सह अनुज्ञापी के रूप में आबकारी आयुक्त की अनुमति से सम्मिलित अथवा हटाया जा सकता है। सह अनुज्ञापी कार्यालय आबकारी आयुक्त की अनुमति के पश्चात सह अनुज्ञापी मूल अनुज्ञापी के साथ विभागीय ऑन लाईन पोर्टल पर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दर्ज किया जायेगा।
42. मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–3.6 एवं नियम–4.2 को संयुक्त रूप से पढा जाए। हैसियत प्रमाण पत्र नीति के अनुसार दोनो रूपों मे स्वीकार किये जायेगें। यह जी–39 प्रारूप में हो या आयकर विभाग के अधिकृत वैल्यूअर द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र हो, मान्य होगी। विगत वर्ष 2025–26 हेतु जारी हैसियत प्रमाण पत्र 31 मार्च 2026 तक मान्य होगा, तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु 30 दिवस का समय (30 अप्रैल 2026 तक) तथा वित्तीय वर्ष 2027–28 हेतु 30 अप्रैल 2027 तक का समय प्रदान किया जायेगा।
43. 31, मार्च 2026 तक वैध हैसियत प्रमाण पत्र पर वर्ष 2026–27 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा।
44. आगामी वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल 2026 से दुकानों में संचित मदिरा में नई एमआरपी व एमएसपी के स्टिकर चस्पा कर बिक्री सुनिश्चित की जाएगी।
45. आबकारी नीति – 2025 का बिन्दु संख्या 17 (b) को यथासंशोधित पढ़ा जाए जैसा कि मद्यनिषेध शासनादेश संख्या– 334(1)/XXIII-1/2025-04(02)/2025 दिनांक 09 जून 2025 में उल्लिखित है।
46. वित्तीय वर्ष 2024–25 में मदिरा की दुकानें जिनकी उप दुकानें स्वीकृत की गई थी, आबकारी राजस्व हित में उन उप दुकानों को आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 में आबकारी आयुक्त की अनुमति के पश्चात आगामी दो वर्षों हेतु एक साथ अनुज्ञापन शुल्क जमा कराने पर संचालित किया जा सकेगा।
47. आबकारी नीति विषयक नियमावली के नियम 11.5 के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि एक ही जनपद के एफएल–2 के मध्य मदिरा के अंतरण पर कोई शुल्क देय नहीं है। तदनुसार जिला आबकारी अधिकारी के स्तर से ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
48. सैन्य यूनिट व अर्धसैनिक बलों के सभी अनुज्ञापनों में 31 मार्च 2026 के अवशेष मदिरा के स्टॉक पर देय आबकारी राजस्व के अंतर की धनराशि जमा करानी होगी।
49. नवीनीकरण लॉटरी प्रक्रिया एवं प्रथम आवक प्रथम पावक के माध्यम से मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन के समय नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
50. बार अनुज्ञापनों का नवीनीकरण, वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु अनुज्ञापन शुल्क तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ विधिवत पूर्ण किए जाने के उपरांत, संबंधित आबकारी निरीक्षक की संस्तुति एवं आख्या के आधार पर, संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। उक्त व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2027–28 हेतु भी यथावत लागू रहेगी।

51. ऐसी समस्त मदिरा दुकानें जो कैंटीन फीस जमा कर कैंटीन का संचालन कर रही है या आगामी वित्तीय वर्ष में संचालन करेंगी, इन सभी मदिरा दुकानों की उपदुकानों की संलग्न कैंटीन के संचालन हेतु अतिरिक्त कैंटीन फीस देय नहीं होगी।
52. मदिरा दुकानों के निरस्तीकरण से पूर्व उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम–4.4 के दृष्टिगत कार्यवाही की जाए ताकि राजस्व क्षति से बचा जा सकें।
53. मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 के लिए नवीनीकरण, लॉटरी या आबकारी नीति में दी गई अन्य व्यवस्था के तहत किया जाएगा। यह व्यवस्थापन द्विवर्षीय होगा, आवंटी की राजस्व देयता 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक होगी, क्योंकि यह व्यवस्थापन 31 मार्च 2028 तक किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 के मध्य में कभी भी अनुज्ञापी/आवंटी द्वारा राजस्व की देयता के अनुसार राजस्व नहीं जमा करने पर, डिफॉल्ट करने पर या अन्य अनियमितताओं के कारण आबकारी अधिनियम–1910 के सुसंगत प्रावधान एवं अन्य सुसंगत नियमावली व नीति में दी गई व्यवस्था के तहत मदिरा दुकान के अनुज्ञापन का निरस्तीकरण तथा पुनर्व्यवस्थापन किया जाता है तो यह पुनर्व्यवस्थापन 31 मार्च 2028 तक किया जाएगा और पुनर्व्यवस्थापन के पश्चात राजस्व में हुई कमी/शॉर्टफॉल की देयता आउटगोइंग लाइसेंसी की होगी, इस तथ्य का उल्लेख आवंटन पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाए।
54. फुटकर मदिरा दुकानों की अनुज्ञापनों के अतिरिक्त यथा डिपार्टमेंटल स्टोर एफ०एल०–5डी०एस०/एम०, बॉटलिंग प्लांट यूनिट, डिस्टलरी, बॉन्ड अनुज्ञापन, एफ०एल०–2ओ०, एफ०एल०–2, सी०एल०–2 आदि के लाइसेंस आबकारी नीति विषयक नियमावली–2025 (त्रि–वर्षीय) में विहित प्रक्रिया के अनुसार नवीनीकृत किये जा सकेंगे।
55. नवीनीकरण के उपरांत अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों हेतु राजस्व का पुनर्निर्धारण कर जनपद मदिरा दुकानों का राजस्व से संबंधित समस्त ब्यौरा कार्यालय आबकारी आयुक्त को प्रेषित करेंगे ताकि व्यवस्थापन के लिए जनपदों हेतु सामूहिक विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। जनपद अपने स्तर पर विज्ञप्ति जारी ना करें। अपरिहार्य स्थितियों एवं राजस्व हित में आबकारी आयुक्त से अनुमति उपरांत जनपद विज्ञप्ति जारी कर सकेंगे।
56. अन्य व्यवस्थाएं आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025 के अनुरूप यथावत रहेगी।

नोटः–

1. उपरोक्त विवरण तथा उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) की अधिसूचना विभागीय पोर्टल www.uttrakhandexcise.org.in तथा www.uk.gov.in पर देखी जा सकती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 का गहनता से परिशीलन करके समस्त प्राविधानों का पालन किया जाना अपेक्षित है। आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय

सीमा में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए सम्पन्न होगी व प्रदेश आबकारी राजस्वहित में निर्धारित आबकारी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025–26, 2026–27 व 2027–28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) जो कि उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 176/XXIII-1/2025–04 (01)/2025 देहरादून दिनांकः 05, मार्च, 2025 को सफल बनाने हेतु अपने नेतृत्व में सी0एल0–5सी (देशी शराब व बीयर) तथा एफ0एल0–5 डी (विदेशी मदिरा व बियर) की दुकानों का व्यवस्थापन सफलतापूर्वक निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्याः ——/सात लाई०एस०–48/व्यव०/2025–26/सा०निर्देश/विज्ञप्ति देहरादून,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को विभागीय बेबसाईट **www.uttarakhandexcise.org.in** पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. **NIC,**उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित की संबंधित जनपद की राजस्व सूची, सामान्य निर्देश एवं व्यवस्थापन की समय सारणी को **www.uk.gov.in** पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(अनुराधा पाल)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।